संख्या-28/2017/2136/पन्चानबे-17-11बजट/06

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्ड अनुभाग लखनऊ, दिनांक 17 नवम्बर, 2017

विषय : नगर निकाय चुनाव 2017 हेतु प्राविधानित बजट की वित्तीय स्वीकृति एवं होमगार्डस स्वयंसेवकों का प्रतिस्थापन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-8560/लेखा/न0नि0निर्वा0-56/2017 दिनांक 09.11.2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का िनदेश हुआ है कि नगर निकाय चुनाव 2017 के अवसर पर दिनांक 18.11.2017 से 29.11.2017 तक प्रथम चरण में 43560, द्वितीय चरण में 44481 एवं तृतीय चरण में 39656 जनपदीय/अन्तर्जनपदीय होमगार्डस स्वयंसेवकों के प्रतिस्थापन एवं निम्नानुसार कुल रूपये 17,41,00,000/- (रूपये सत्रह करोड़ इकतालिस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

02-मजदूरी मद में	रू0 16,80,00,000/-
04-यात्रा भत्ता मद में	रू0 23,00,000/-
15-गाड़ियों का ईधन/अनुरक्षण	रू0 18,00,000/-
42-अन्य व्यय	रू0 20,00,000/-
कुल	रू0 17,41,00,000/-

1. उक्त स्वीकृत का व्यय प्रश्नगत मदों में नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे राज्य सरकार के प्राप्ति लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।

2. प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या-सी0ए0-1132/दस-2004 मित0-1/2004, दिनांक 07 जनवरी, 2005 एवं शासनादेश संख्या-सी0ए0-934/दस-2008-मित0-1/2007, दिनांक 02 सितम्बर, 2008 का विशेष रूप से पालन किया जाय, ताकि अपव्यय को रोका जा सकें।

3. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02.01.2017 एवं शासनादेश संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017 दिनांक 20.03.2017 में निर्गत दिशा निर्देशों का पालन किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5. स्वीकृत धनराशि का व्यय समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं सुसंगत नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा। इस में यदि किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तर दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

6. उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 में स्पष्ट किया गया कि नियंत्रक अधिकारी या विभागाध्यक्ष जैसी भी स्थित हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय का कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय। महासमादेष्ट होमगार्डस यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था की जाय तथा शासन को इससे अवगत कराया जाय।

7. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-74 के लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-107-होमगार्डस संगठन के उप लेखाशीर्षक 08-नगर निकाय चुनाव की संगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय प0सं0-ई-12-1136(1)/दस-2017 दिनांक 17 नवम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सत्येन्द्र कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-28/2017/2136(1)/पन्चानबे-17-तददिनांक।

प्रतिलिखित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट/प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, होमगार्डस मुख्यालय, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. बजट सहायक/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सत्येन्द्र कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।